

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/ 334

दिनांक:- 22/08/2025

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	13184	दीपक यादव, सलेअ-II	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, खैरथल-तिजारा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल जिला खैरथल-तिजारा	विभागीय आदेश क्रमांक 280 दिनांक 12.08.25 के द्वारा श्री मनीष शर्मा, सलेअ-II को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर
2	12447	विजय, सलेअ-II	सहायक निदेशक (1014), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, ब्यावर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ब्यावर	कोषाधिकारी, ब्यावर का कार्यालय आदेश क्रमांक 764 दि. 13.08.2025 अनुमोदित

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/ 334

दिनांक:- 22/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री/श्रीमतीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करावें।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।



(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)